उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्याः-सी-04/लेखा/चि0प्रतिपूर्ति/2018-19 दिनांकः 05-04-2018

समस्त प्रबन्धक श्रेणी-1/2,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः- बैंक में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों तथा प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम सीमा का निर्धारण।

बैंक परिपत्र संख्या सी-34/2011-12 दिनांक 28.06.11 व परिपत्र संख्या सी-128/लेखा/चि0प्रति0/2001-02 दिनांक 13.09.01 द्वारा बैंक में तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके स्वयं के इलाज एवं आश्रितों के इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा अग्रिम तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने के नियम/दिशा-निर्देश निर्गत हैं।

बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 12.12.17 में पारित प्रस्ताव संख्या-9 के द्वारा बैंक में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों तथा प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के इलाज पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा सम्पूर्ण सेवाकाल में रू0 5.00 लाख निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है तथा अपरिहार्य एवं तर्कसंगत कारणों से किसी बीमारी के सापेक्ष अधिक प्रतिपूर्ति की आवश्यकता होती है तो Case wise/व्यक्तिगत स्तर पर शिथिलता प्रदान करने अथवा अधिकतम सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर निर्णय बैंक प्रबन्ध समिति द्वारा लिया जायेगा।

उक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। ऐसे प्रकरण जिसमें किसी कर्मचारी/अधिकारी को उपरोक्त सीमा से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, उन्हें पुनरोद्घाटित (REOPEN) नहीं किया जायेगा। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत परिपत्रों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। अन्य प्राविधान व शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगे।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
2. उप महाप्रबन्धक/प्रधानाचार्य (प्रशिक्षण), उ0प्र0सह0ग्रा0वि0बैं0लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
3. स्टाफ अफसर, माननीय सभापति महोदय, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को मा0सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड एवं समस्त अधिकारियों एवं शाखाओं को ई-मेल करने हेतु।

05/04/18

(शैलेश आनन्द)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी